



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-18042024-253763
CG-OR-E-18042024-253763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1651]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17, 2024/चैत्र 28, 1946

No. 1651]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 17, 2024/CHAITRA 28, 1946

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 17 अप्रैल, 2024

का.आ. 1736(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा - 2 के खंड 7 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ओडिशा राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारियों के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में इस तरह कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

तालिका

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी का नाम	विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में राजस्व मंडल अधिकारी, विशाखापत्तनम	वालतेरु मंडल के अंतर्गत गंगवरम पोर्ट - विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (12.04 किमी) के बीच टाई लाइन सहित वड्लापुडी-गेट जंक्शन केबिन के बीच तीसरी और चौथी लाइन।

[फा. सं. मु.इं./नि./जेडीबी एट वीएसकेपी/वीडीपीडी-जीजेसी तीसरी और चौथी लाइन/एसआरपी]

अजय कुमार सामल मुख्य इंजीनियर (निर्माण-I)

MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway (CONSTRUCTION)]
NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 17th April, 2024

S.O. 1736(E).—In exercise of the powers, conferred by Clause 7 (A) of Section – 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the Table below as the Competent Authority to perform the function of such authority under said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the Table below in the State of Andhra Pradesh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Area of the Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	Revenue Divisional Officer, Visakhapatnam as Special Land Acquisition Officer	3rd & 4th Line in between Vadlapudi-Gate Jn. Cabin including Tie Line between Gangavaram Port-Visakhapatnam Steel Plant (12.04 Km) under Waltair Division.

[F. No. CE/CON/JDB at VSKP/VDPD-GJC 3rd & 4th Line/SRP]
AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-I)